दैनिक यशोभूमि गुरुवार-12-4-2012

प्रमुखीय लोकतंत्र के बारे में भ्रम

प्रमुखीय लोकतंत्र के बारे में ये सामान्य सा भ्रम है कि ये तानाशाही को बढ़ावा देगा कोई भी प्रजातंत्रीय या तो संसदीय प्रणाली हो, या राष्ट्रप्रमुख द्वारा संचालित प्रणाली तानाशाही का उद्भव होना इस बात पर निर्भर करता है कि सारी शासन पद्धति के ऊपर अंतरनिहित अंकुश व संतुलन की प्रक्रिया कैसी है। ७ साल के अल्पकाल (१९३२-१९३९) में जर्मनी में ''थर्ड रीचस्टेग'' (१९२०-१९३९) के दौरान हिटलर ने तब के संसदीय लोकतंत्र को धोखा देकर तानाशाह के सभी अधिकार हासिल कर लिए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में संसदीय लोकतंत्र को आपातकाल लगाकर (तानाशाही शासन में) तब्दील कर दिया था। इस आपातकाल में पास किया गया ४२वां संविधान संशोधन तानाशाही की तरफ कदम बढ़ाना था क्योंकि इसमें संसद को संविधान की धारा ३६८ में संशोधन करने का अधिकार दे दिया था, जिसके तहत संविधान की किसी भी धारा में बदलाव लाया जा सकता था जिसे किसी भी तरफ से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सौभाग्यवश यह संशोधन जनता दल के शासन के दौरान खंडित कर दिया गया।

सरकारी शासन विभाग, विधायिका व न्यायपालिका ये सरकार [illegible] से देखें तो सरकार का शासन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यीय स्तर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा होता है। प्रमुखीय लोकतंत्र के रूप में सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए व नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के सही अमल के लिए कार्यकारी प्रमुख और उसके मंत्रिमंडल व विधायिका का अलग विश्लेषण आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि विधायिका को कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना होगा। प्रमुखीय लोकतंत्र की शासन पद्धति में अमेरिका और फ्रांस द्वारा अपनायी गई पद्धति को एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है, जिसमें कार्यकारिणी और विधायिका एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन बनाए रखते हैं। एक तरफ राष्ट्रप्रमुख को ये अधिकार दिया गया है कि वो मंत्रिमंडल में सर्वोत्तम गुणी व्यक्तियों को चुन ले, वहीं उसके लिए ये आवश्यक होगा कि वो मंत्रिमंडल की सभी नियुक्तियों के पूर्व विधानसभा (सीनेट) की संबंधित समितियों की सम्मति प्राप्त कर ले 'सीनेट' [illegible] नियुक्तियों से कोई स्वार्थ नहीं सधेगा क्योंकि कोई भी 'सीनेटर' या निम्न सदन के सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। इधर संसद द्वारा राज्य स्तर पर विधानसभा के सभी सदस्यों को दलगत नीतियों से अलग किसी भी विधेयक पर अपना मत देने का पूर्णाधिकार दिया गया है। अमेरिकन प्रजातंत्र में 'व्हिप' नामक कोई शब्द नहीं है व संसद सदस्य एक मजबूत समिति पद्धति द्वारा सभी प्रस्तावित विधेयकों का निष्पक्ष व व्यावसायिक विश्लेषण कर सकते हैं। इस लेख का समापन करते हुए डा. बाबासाहेब आंबेडकर ने जो १९४७ में संविधान निर्माण सभा में ज्ञापन दिया था वो आज भविष्यवाणी प्रतीत होती है-''जातियों व धर्मों में संघर्ष के कारण भारत की विधानसभाओं में बहुसंख्य राजकीय पक्ष और दल बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह संभव ही नहीं, अवश्य मेव होगा कि प्रजातंत्र में विधानसभा में विरोध मत के कारण शासक पक्ष को त्यागपत्र देना पड़े। भारत को [illegible] होगी इन दलों के लोग वारंवार एक मामूली से कारण पर इकट्ठे या अलग हो जाएं और सरकार को गिरा दें। इस प्रकार लगातार सरकारों के गिरने के कारण अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अमेरिकन शासन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो समानांतर रूप से एक उत्तम प्रकार की सरकार हेतु जिम्मेदार प्रजातांत्रिक रीति है।''

जशवंत बी. मेहता

यहां अरुण शौरी की किताब 'दी पार्लियामेंटरी सिस्टम', २००७ के संस्करण के पृष्ठ १८ से उद्धृत करता हूं जो सामयिक है जबकि हममें से अधिकांश डा. आंबेडकर को हमारे संविधान का निर्माता मानते हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को अस्वीकार किया था। २ सितंबर १९५३ को उन्होंने राज्यसभा में कहा था-''मान्यवर, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं मैंने संविधान का निर्माण किया है। पर मैं आज ये कहने को तैयार हूं कि मैं इसे जला देनेवाला प्रथम व्यक्ति होऊंगा। मुझे ये नहीं चाहिए, ये किसी के लिए भी योग्य नहीं है।'' ये निश्चित समझ लीजिए कि अगर डा. आंबेडकर उस पद्धति के प्रदर्शन देखने को जीवित रहे होते जिस पद्धति ने जिस प्रकार के व्यक्ति विधानसभाओं में और मंत्रिमंडल में प्रदान किए हैं तब वो अपने उस समय कहे हुए विचारों को व्यवहार में ले आते। (समाप्त)

([illegible] का संपादित प्रारूप)